शिलांग, 17 नवम्बर, 2005

सा.का.नि. 416.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग (वर्ग 'ग' सहायक पद) भर्ती नियम, 1995 और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय शिलांग (वर्ग 'ग' और 'घ') भर्ती नियम 1983, जहां तक वे उच्च श्रेणी लिपिक के पद, पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय शिलांग (वर्ग 'ग' और 'घ') पद भर्ती नियम, 1995 के पदों से संबंधित हैं, जहां तक वे अवर श्रेणी लिपिक और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, कनिष्ठ अनुवादक तथा अवर श्रेणी लिपिक (हिंदी टंकक) भर्ती नियम, 1990 से संबंधित हैं, का अधिक्रमण करते हुए परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थगित बातों को छोड़कर राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग में सहायक, उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक, कनिष्ठ अनुवादक, अवर श्रेणी लिपिक (हिंदी टंकक) के पदों पर भर्ती को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं; नामत: —

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग वर्ग 'ग' भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) ये भर्ती नियम, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना**—ये नियम, संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता आदि.**—उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

5. **निरर्हता :** जिसने—

(क) किसी ऐसी महिला/पुरूष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित है, या

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

7. **व्यावृत्ति .**—इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1	2	3	4	5	6	7
2. कनिष्ठ अनुवादक	1* (2005) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अन्तर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ग' अराजपत्रित, (गैर-अनुसचिवीय)	रु. 4500-125-7000	लागू नहीं	लागू नहीं	28 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय) **नोट :** आयु निर्धारण की निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि होगी। (परन्तु असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख डिविजन, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी सब-डिविजन के लाहौल और स्पीति जिले, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथ

7

लक्षद्वीप के लिए आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि इससे अलग होगी)

यदि भर्ती रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है तो उम्मीदवारों की आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि वह अंतिम तिथि होगी जब रोजगार कार्यालयों का नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए।

8	9	10
अनिवार्य :	लागू नहीं	दो वर्ष

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित हिन्दी में मास्टर डिग्री या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहा हो अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में हिन्दी सहित अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम हिन्दी रहा हो, अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में मास्टर डिग्री, साथ में डिग्री स्तर पर हिन्दी या अंग्रेजी माध्यम और अनिवार्य/ऐच्छिक विषय के रूप में हिन्दी/अंग्रेजी एक विषय अथवा परीक्षा का माध्यम रहा हो।

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी विषय अनिवार्य या ऐच्छिक रहा हो अथवा परीक्षा का माध्यम दोनों में से कोई भी एक रहा हो और दूसरा अनिवार्य/ऐच्छिक विषय रहा हो साथ में हिन्दी से अंग्रेजी अथवा विलोमत: अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठयक्रम किया हो अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र (भारत सरकार के उपक्रमों सहित) में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमत: अनुवाद का दो वर्ष का अनुभव।

11

प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा। ऐसा न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा

12

प्रतिनियुक्ति या आमेलन :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों में से जो :

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों, या

(ii) जिन्होंने 4000-6000 रुपये के वेतनमान में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों, और

(ख) सीधी भर्ती से आने वालों के लिए कालम 8 में निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं रखते हों।

(केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य नि:संवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

13		14
वर्ग 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे :		लागू नहीं।
1. निदेशक या उप सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय	—अध्यक्ष	
2. सहायक पोस्ट मास्टर जनरल (स्टाफ/लेखाकार) पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय, शिलांग	—सदस्य	
3. निदेशक या सहायक निदेशक, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, शिलांग	—सदस्य	

Shillong, the 17th November, 2005

G. S. R. 416 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in supersession of the North Eastern Council Secretariat (Group 'C' posts of Assistant) Recruitment Rule, 1995, North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1983, in so far as they relate to the post of Upper Division Clerk, North Eastern Council Secretariat, Shillong, (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 1995, in so far as they relate to the post of Lower Division Clerk and North Eastern Council Secretariat, Shillong, Junior Translator and Lower Division Clerk (Hindi Typist) Recruitment Rules, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant, Upper Division Clerk, Lower Division Clerk, Junior Translator and Lower Division Clerk (Hindi Typist) in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong Group 'C' Post Recruitment Rules, 2005.

(2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of Posts, Classification and Scale of Pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of Recruitment, Age Limit, Qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contacted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

3477 GI-4

1	2	3	4	5	6	7
2. Junior Translator	1* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4500-125-7000.	Not applicable	Not applicable	28 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul & Spiti District of Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). If the appointment is through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

8	9	10
Essential : Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level or Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject as a medium of examination at degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; or Bachelor's degree of a recognised University with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory or elective subject plus a recognised Diploma Certificate Course in translation from Hindi to English and *vice versa* or two years experience of translation work from Hindi to English and *vice versa* in Central Government or State Government or Union Territories (including Government of India Undertakings).	Not applicable	Two years

11	12
By deputation/absorption failing which by direct recruitment.	**Deputation or absorption :** From amongst the officers under the Central Government or State Government or Union Territories : (a) (i) holding analogous posts, or (ii) with five years' regular service in the pay scale of Rs. 4000–6000. (b) possessing educational and other qualifications as prescribed in column 8 for direct recruits. (The period of deputation including period of another ex-cadre post held immediately preceding his appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall not exceed three years).

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Director or Deputy Secretary. North Eastern Council Secretariat —Chairman 2. Assistant Post Master General (Staff/Accounts). PMG's Office, Shillong. —Member 3. Director or Assistant Director. Scheduled Castes or Scheduled Tribes, Shillong —Member	Not applicable.